कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/अ–4/क्रमोन्नति/राउमावि/2017–18 दिनांक : 27-04-2018

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा–प्रथम/द्वितीय

विषयः 10 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में ।

प्रसंगः शासन का पत्रांक- प0 4(6) शिक्षा–1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 26.04.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु सं 99 की पालना में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रासंगिक स्वीकृति के क्रम में संलग्न सूची के अनुसार कुल 10 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है–

शर्तेः–

1. विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2018–19 से प्रारंभ होगा ।
2. स्वीकृति के प्रथम वर्ष में कक्षा 11 व द्वितीय वर्ष में कक्षा 12 प्रारंभ होगी ।
3. इन विद्यालयों में संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर किया जायेगा । इसके लिये सम्बन्धित जि0शि0अ0 (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालय से संकाय व संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई–मेल आई डी.– secondaryddr@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करा ताकि तदनुसार संकाय व ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे । अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगें ।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/ पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी ।
6. विद्यालयों के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, यू–डाईस कोड, IFMS कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में ।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
8. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
9. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग।
10. अनुभाग अधिकारी संस्थापन–एबी/संस्थापन–सी/संस्थापन–एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण
11. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ–1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

GENRAL LETTER /2018/A-4

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक प. 4 (6) शिक्षा–1, 2016 पार्ट दिनांक 26.04.2018 की पालना में वर्ष 2018–2019 में रामावि से राउमावि में नवक्रमोन्नत 10 विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	यू– डाईस कोड	जिला	विधानसभा का नाम	ब्लाक	ग्राम पंचायत	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम
1	08060309301	Alwar	MUNDAWAR	MUNDAWAR	MAINPUR	रामावि मैनपुर
2	08060105501	Alwar	BEHROR	BEHROR	GUJARBAS	रामावि गुर्जरावास
3	08060818806	Alwar	ALWAR URBAN	UMRAIN	NP ALWAR	राबामावि नयाबास
4	08310400301	Baran	CHHABRA	CHHABRA	DELOAD	रामावि कोलूखेडा
5	08170802301	Barmer	GUDA(139)	DHORIMANA	CHAINPURA	रामावि माणकी
6	08290104101	Chittorgarh	KAPASAN 167	RASHMI	UPREDA	रामावि मुरोली
7	08040405502	Churu	CHURU (22)	CHURU	INDRAPURA	रामावि इन्द्रपुरा
8	08121025502	Jaipur	PHULERA(044)	DUDU	KHEDIRAM	रामावि श्योसिंहपुरा
9	08100208101	Sawaimadhopur	Bamanwas (091)	BOUNLI	PIPALDA	रामावि पिपलदा
10	08100306702	Sawaimadhopur	Gangapur City (090)	GANGAPUR CITY	BADH KALAN	रामावि रेती

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ 4/क्रमोन्नति/राउमावि/2017-18 दिनांक 26-04-2018

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा,
सिरोही, बीकानेर, चुरू

विषय: नवक्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नाम,स्थान आदि के संशोधन के संबंध में।
प्रसंग: शासन का पत्रांक प० 4(6) शिक्षा-1/2016, पार्ट जयपुर दिनांक 23.0- 2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रासंगिक स्वीकृति के क्रम में जिला सिरोही का 01, जिला बीकानेर का 01 तथा चुरू का 01 इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल 03 नवक्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नाम,स्थान आदि में संशोधन की स्वीकृति संलग्न सूची के अनुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्तें:-

1. विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2018-19 से प्रारंभ होगा।
2. स्वीकृति के प्रथम वर्ष में कक्षा 11 व द्वितीय वर्ष में कक्षा 12 प्रारंभ होगी।
3. इन विद्यालयों में संकाय एवं सकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित जि०शि०अ० (माध्यमिक) को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालय से संकाय व संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवा कर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई-मेल आई डी.- secondarydd@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार सकाय व ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु स. 6:1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु स 6:3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयों मे नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/ पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।
6. विद्यालयों के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला, यू-डाईस कोड IEMS कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(नथमल डिडेल)
आई ए एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
8. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
9. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, पाली, बीकानेर, चुरू।
10. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एफ़ी/संस्थापन-सी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/अ दर्श वि./शाला दर्पण
11. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

GENRAL LETTER /2018/A-4

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

राज्य सरकार के संशोधित आदेश क्रमांक प. 4(6) शिक्षा–1 /2016 पार्ट दिनांक 23.04.2018 की पालना मे वर्ष 2018–19 में नव क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नाम, स्थान आदि में संशोधन का विवरण:–

क्र.स.	राज्य सरकार की स्वीकृति आदेश			निदेशालय द्वारा जारी आदेश		पूर्व में क्रमोन्नति आदेश में अंकित विद्यालय का नाम जो की परिवर्तित होना है	नवीन संशोधित विद्यालय का नाम जो कि क्रमोन्नत हुआ है	IFMSकोड
	दिनांक	सूची क्रमांक	प्रपत्र स	दिनांक	सूची क्रमांक			
1.	14.03.18	284	1 ए	–	–	राजकीय माध्यमिक विद्यालय उमरणी, ग्राम पंचायत उमरणी, पं.स. आबूरोड़, जिला सिरोही	राजकीय माध्यमिक विद्यालय दानवाव, ग्राम पंचायत उमरणी, पं.स. आबूरोड़, जिला सिरोही	33191
2.	14.03.18	32	2 ए	14.03.18	145	राजकीय माध्यमिक विद्यालय लिखमीसर दिखणादा, ग्रा.पं. लिखमीसर दिखणादा, पं.स. श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर	राजकीय माध्यमिक विद्यालय लिखमीसर उतरादा, ग्रा.पं. लिखमीसर दिखणादा, पं.स. श्रीडूंगरगढ़,जिला बीकानेर	3384
3.	14.03.18	46	2 ए	–	–	राजकीय माध्यमिक विद्यालय चुम्बकिया ताल, ग्रा.पं. चुम्बकिया ताल, पं.स. राजगढ़,जिला चूरू	राजकीय माध्यमिक विद्यालय चुम्बकिया ताल, ग्रा.पं. चैनपुरा बड़ा, पं.स. राजगढ़,जिला चूरू	4000

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर